

२०२५/३४

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर

क्रमांक राजस्व/2024/ 336

दिनांक २०/५/२०२५

मु.स. (27/24)

॥ आदेश ॥

तहसीलदार फुलेरा के पत्रांक/2024/911 दिनांक 06.03.2024 अनुसार व सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित पत्र एवं संलग्न नक्शा पत्रादि व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रस्ताव रिपोर्ट , खातेदारी भूमि पर प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव सहीत प्राप्त है । प्राप्त तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार ग्राम सामलपुरा के संबंध में प्रस्ताव अनुसार उल्लेखित खसरा नम्बरान् पर स्थायी रूप से चालू रास्ता है तथा मौके पर गोवल सडक बनी हुई है जो कि वर्षो से मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग में आना बताया है ।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्णित भूमि पर संलग्न नक्शेअनुसार मौके पर रास्ता के ही काम आने व प्रकरण में अधिकांश खातेदार/सहखातेदारों की सहमति होने से राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व (ग्रुप-6) क्रमांक प.3(17)/राज-6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में ग्राम सामलपुरा तहसील फुलेरा के ख0न0 20, रकबा 1.9220 किस्म बा0 1 में से 0.0640 हैक्टेयर ख0न0 21, रकबा 2.9336 किस्म बा0 1 में से 0.0400 हैक्टेयर भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता, दर्ज करने सम्बन्धी अनुशंसा तहसीलदार फुलेरा से प्राप्त होने पर एवम जनहित में रास्ता सार्वजनिक उपयोग में काम आने से तथा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उक्त खसरा नंबरान में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन , विधि/नियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर तथा आदेश में वर्णित खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय का स्थगन नही होने पर , रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति ,तहसीलदार फुलेरा को वास्ते राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु प्रेषित की जावे।

(उपखण्ड अधिकारी)
सांभरलेक

दिनांक २०/५/२०२५

क्रमांक राजस्व/.2024/ 337 + 39

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही अप्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर ग्रामीण ।
2. श्रीमान अति. जिला कलक्टर (प्रथम), प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण ।
3. तहसीलदार, फुलेरा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरान् में प्रचलित रास्ते के रकबे का राजस्व रिकार्ड में अंकन , विधि में प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर व खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय का स्थगन नही होने पर,रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए करने व राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु प्रेषित है।

(उपखण्ड अधिकारी)
सांभरलेक

